राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/ 878 दिनांक : 20/07/09

–: परिपत्र :–

मेरे ध्यान में लाया गया हैं कि जो लोक सेवक स्वैच्छापूर्वक जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं तथा बिना अनुमति के मुख्यालय छोडकर प्रस्थान कर जाते हैं या आप–डाउन करते हैं, क्षेत्रीय/जिला अथवा उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती हैं। निदेशालय के स्तर पर ऐसे मामलों में कार्यवाही करने हेतु समय रहते विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं, परन्तु उनकी पालना नहीं हो रही हैं जो गम्भीर स्थिति हैं।

ऐसे मामलों में कार्यवाही हेतु राजस्थान सेवा नियम 23, 86 एवं राजस्थान सिविल सेवाऐं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 में स्पष्ट प्रावधान हैं जिनके अन्तर्गत दोषियों के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए ताकि प्रशासनिक एवं विधिक कठिनाईयां उत्पन्न नहीं हों।

अतः समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता हैं कि क्षेत्रीय/जिला स्तर के अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके स्तर पर कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जानी हैं अर्थात जिस पद के नियुक्ति प्राधिकार उनमें निहित हैं, उस पद पर वर्णित कर्मचारी के विरूद्ध नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल कार्यवाही करें। अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव के साथ मामला सभी तत्संबंधी प्रमाणित पत्रादि सहित अविलम्ब निदेशालय को भेजे ताकि दोषी के विरूद्ध समय पर यथोचित कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें।

यह सुनिश्चित कर लें कि यदि ऐसे मामलों में ढिलाई बरती गई तो उस क्षेत्रीय/जिला अथवा नियंत्रण अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करी दी जावेगी जिसके स्तर पर कार्यवाही में विलम्ब हुआ हैं।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

क्रमांक : ई/सामान्य/राजपत्रित/09/ 879 दिनांक : 20/07/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. परियोजना निदेशक, एन0आर0एच0एम0/आर0एच0एस0डी0पी0/निदेशक, आई0ई0सी0।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, आर0सी0एच/एड्स/ई0एस0आई0।
6. अति0 निदेशक, राजपत्रित/प्रशासन/आर0सी0एच0/ग्रामीण स्वास्थ्य/चिकित्सा प्रशासन/आई0ई0सी0।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. समस्त डिलींग सहायक, निदेशालय।
11. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0 जयपुर।

13/7/09